

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गोड्डा ।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अन्तर्गत प्राथमिकता के अंतिमीकरण हेतु ग्राम सभा का आयोजन हेतु

।। आवश्यक सूचना ।।

ग्रामीण विकास विभाग, झारखंड सरकार पत्रांक-10-पी.एम.ए. वाई-जी-29/2016/ग्रा0वि0/5914 राँची, दिनांक 29.11.2017 से प्राप्त निदेश के आलोक में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत स्थायी प्राथमिकता सूची अंतिमीकरण ग्राम सभा के माध्यम से किया जाना है ।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की प्राथमिकता सूची में छूटे हुए योग्य परिवार का नाम जोड़ने एवं प्राथमिकता सूची में अंकित अयोग्य परिवार का नाम हटाने हेतु जिला के सभी प्रखंड के सभी पंचायतों में दिनांक 18.12.2017 से 26.12.2017 तक ग्राम सभा का आयोजन किया जाना है । आयोजित ग्राम सभा के कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी प्रखंड कार्यालय, पंचायत कार्यालय के सूचना पट्ट एवं एन0आई0सी0, गोड्डा के वेवसाईट www.godda.nic.in पर प्रकाशित किया गया है ।

साथ ही ग्राम सभा के द्वारा पारित योग्य एवं अयोग्य परिवार की सूची का प्रकाशन दावा अपत्ति हेतु प्रखंड कार्यालय, पंचायत कार्यालय एवं एन0आई0सी0, गोड्डा के वेवसाईट www.godda.nic.in पर दिनांक 26.12.2017 को किया जायेगा । प्रकाशित सूची में अगर किन्हीं को कोई दावा या आपत्ति हो तो दिनांक 18.12.2017 को अपराहन 03:00 बजे तक अपना दावा/आपत्ति आवेदन के माध्यम से प्रखंड कार्यालय एवं जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गोड्डा में साक्ष्य के साथ समर्पित कर सकते हैं ।

ग्रामीण जनता से अनुरोध है कि उक्त ग्राम सभा में निश्चित रूप से भाग लें ।

18/12/17
उप विकास आयुक्त
गोड्डा ।
उप